कार्यालयः— जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर

आदेश

क्रमांक/ 264 दिनांक 26/05/26

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में कर्मचारीगण एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत की गई रिट/अपील के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुये समस्त रिट याचिकाओं हेतु विशिष्ठ न्यायाधीश अनु.जाति/जनजाति(अ.नि.प्र.) अजमेर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

इसी क्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 244 दिनांक 02.06.2023 को निरस्त करते हुये प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे कर्मचारीगण द्वारा एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत की गई रिट/अपील में कार्यालय द्वारा तैयार की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा तैयार जवाब के सम्यक परीक्षण एवं परीक्षण प्रतिवेदन तदानुसार अनुमोदन हेतु अधोहस्ताक्षकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 26-5-26

क्रमांक/ 17866-17930 दिनांकः— 26/05/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. समस्त पीठासीन अधिकारीगण अजमेर न्यायक्षेत्र
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश ब्याव को पूर्व में अजमेर न्यायक्षेत्र में सम्मिलित न्यायालयों में प्रसारित किये जाने हेतु।
3. विशिष्ठ न्यायाधीश अनु.जाति/जनजाति(अ.नि.प्र.) अजमेर
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं 02 अजमेर
5. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय अजमेर को जिला न्यायालय अजमेर की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 26-5-26

कार्यालयः— जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर

आदेश

क्रमांक/स्था0/2026/ 261 दिनांकः— 26/05/26

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/स्था0/2025/244 दिनांक 13.05.2025 को निरस्त करते हुये वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्कर के स्थान पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्कर को पुष्कर स्थित प्रतिलिपि शाखा/लेखा शाखा एवं नजारत शाखा/अभिलेखागार/ डबल लॉक मालखाना का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 26-5-26

क्रमांक/ 17792-17795 दिनांकः— 26/05/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्कर
2. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्कर
3. संबंधित कर्मचारीगण जरिये सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्कर
4. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय अजमेर को जिला न्यायालय अजमेर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 26-5-26

कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर

आदेश

क्रमांक/स्था/2026/ 268 दिनांक 26/05/26

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/स्था0/2026/112 दिनांक 16.02.2026 को निरस्त करते हुए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 3ए के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न.05 अजमेर के स्थान पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न.01 अजमेर को आगामी आदेश तक जिला न्यायालय अजमेर के सम्बन्ध में सरकार के वित्तीय नियमों के प्रयोजनार्थ कार्यालय अध्यक्ष घोषित करता हूं । अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न.01 अजमेर वित्तीय नियमों एवं समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन कार्यालय अध्यक्ष को प्रत्यायोजित समस्त वित्तीय एवं अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगें ।

कर्तव्य एवं दायित्व सामान्यतः सरकार के वित्तीय एवं लेखा नियमों के विभिन्न उपबन्धों में निर्धारित किये गये है ।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न.01 अजमेर विशेष रूप से निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगेः–

1. कोषागार में प्रस्तुत करने के लिये समस्त सरकारी कर्मचारियों के वैयक्तिक दावों सम्बन्धी बिलों एवं आकस्मिक व्ययों के बिलों पर आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर करना ।
2. रोकड़ पुस्तिका एवं समस्त लेखा पंजिका तथा अभिलेख, विशेष रूप से बिलों के भुगतान पर निगरानी रखने का रजिस्टर, बिल भेजने का रजिस्टर, अल्पकालीन अग्रिमों का रजिस्टर, आकस्मिक व्ययों का रजिस्टर, अग्रिम समायोजनों का रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, दुर्विनियोग आदि का रजिस्टर आदि चैकों, ड्राफ्टों, पोस्टल मनी आडर्स आदि की प्राप्ति निपटाने को दर्शित करने वाला रजिस्टर आदि एवं पोस्टल मनी आडर्स/ड्राफ्ट्स द्वारा किये गये भुगतानों का रजिस्टर तैयार करना तथा संबंधित प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर करना ।
3. समस्त प्राप्तियों एवं इस प्रकार आहरित निधियों मे से किये गये भुगतान के लिये लेखा रखना तथा वैध रसीद के लिये उचित प्राप्तकर्ता को भुगतान करना तथा भुगतान करने के प्रमाण स्वरूप उसे अभिप्रमाणित करना ।
4. वित्तीय नियमों, आदेशों एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजनों के अनुसार आवर्तक एवं अनावर्तक आकस्मिक व्यय के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना ।
5. सरकारी कर्मचारियों को दिये गये अस्थाई अग्रिमों के समायोजनों को सुनिश्चित करना एवं निर्धारित समय के भीतर खर्च न किये गये अतिशेष (बैलेन्स) की वसूली करना तथा उन पर इन नियमों मे यथा प्रावहित कार्यवाही करना ।
6. भण्डार की वस्तुओं को मितव्ययी रूप से प्राप्त करना तथा उनसे उचित हिसाब एवं अभिरक्षा (कस्टडी) की व्यवस्था करना ।
7. अजमेर मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के रेवेन्यू रिफन्ड, सिविल डिपोजिट तथा लैप्स डिपोजिट के समस्त बिलों का आहरण डी.डी.ओ. कोड संख्या 24718 से आहरित करना, वित्तीय नियमों एवं समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन कार्यालय आदेश को प्रत्यायोजित समस्त वित्तीय एवं अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा साथ ही उक्त मदों के रजिस्टर्स में अंकित इन्द्राज पर हस्ताक्षर करना।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 26-5-26

क्रमांकः 17957-17962 दिनांकः 26/05/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न.01/05 अजमेर
2. प्रभारी अधिकारी, संस्थापन शाखा/लेखा शाखा जिला न्यायालय अजमेर
3. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा अजमेर
4. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेशन रोड़ अजमेर
5. कोषाधिकारी, अजमेर
6. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय अजमेर को जिला न्यायालय अजमेर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 26-5-26

कार्यालयः— जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर

आदेश

क्रमांक/स्था0/2026/ 269 दिनांकः— 26/05/26

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/स्था0/2023/286 दिनांक 27.06.2023 को निरस्त करते हुये सामान्य नियम (दीवानी एवं फौजदारी) 2018 के आदेश 1 नियम 07 के अन्तर्गत अपर जिला एवं सेशन न.02 अजमेर के स्थान पर पीठासीन अधिकारी अपील किराया अधिकरण अजमेर को संस्थापन शाखा जिला न्यायालय अजमेर का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 26-5-26

क्रमांक/ 17963- 17965 दिनांकः— 26/05/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. पीठासीन अधिकारी अपील किराया अधिकरण अजमेर
2. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न.02 अजमेर
3. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय अजमेर को जिला न्यायालय अजमेर की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 26-5-26